

सर्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

क्र. स.	खाला सं०	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खाले का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	वि०वि०
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.
1	54	39 40 11c	0.3411 0.5310 0.3414	कीकमी पुत्री स्वामीडा आति जरादिम विष्णु पुत्र स्वामीडा -11- श्यांती पुत्री स्वामीडा -11- हल्दी पुत्री स्वामीडा -11- इसा पुत्र स्वामीडा -11- जानी पुत्री स्वामीडा -11- अमना देवी पत्नी स्वामीडा -11- रमेश पुत्र स्वामीडा -11-	कीकमी पुत्री स्वामीडा आति जरादिम विष्णु पुत्र स्वामीडा -11- श्यांती पुत्री स्वामीडा -11- हल्दी पुत्री स्वामीडा -11- इसा पुत्र स्वामीडा -11- जानी पुत्री स्वामीडा -11- अमना देवी पत्नी स्वामीडा -11- रमेश पुत्र स्वामीडा -11-	

मुताबिक भिसल/जमाबंदी संघत के मुताबिक 7054-74 के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत घारा 138 राज० नू० राजस्थान अधिनियम 1958 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय को प्रपत्र प्रेषण योग्य है।

साथिक राजस्थान रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाले में शुद्धि किया जाना उचित है।

पं०हल्का 2405/25 मु०अ०नि० 112/25 की रिपोर्ट व साथिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण धनदोस्त संकियाओं के दानान/पूर्व का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय को सादर प्रेषित है।

पं०हल्का 2405/25 मु०अ०नि० 112/25 की रिपोर्ट व साथिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। हाल जमाबंदी में अमल किया जावे।

राजस्थान अधिनियम-2025
पटवारी महोदय
तहसील आवरोड

राजस्थान अधिनियम-2025
पटवारी महोदय
तहसील आवरोड

राजस्थान अधिनियम-2025
पटवारी महोदय
तहसील आवरोड

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कार्यालय आवरोड

128/2025
12/8/2025